



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र./7117/NR-4/10

भोपाल, दिनांक 12/07/10

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम- म.प्र.
जिला:- समरत

विषय :- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत अकुशल श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किए जाने विषयक।
संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. 5992/MGNREGS-MP/2010 भोपाल दिनांक 10/05/2010


—000—

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से मध्यप्रदेश शासन द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस से मजदूरी भुगतान में होने वाले विलंब को दूर करने हेतु पाक्षिक रूप से 1 से 8 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर मजदूरी भुगतान के विलंब के आधार पर ग्राम रोजगार दिवस आयोजित कर मजदूरी भुगतान के प्रकरणों का निपटारा किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

उक्त निर्देशों के परिपालन में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट माह जून एवं जुलाई की अगले माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में परिषद् कार्यालय को भेजा जाना है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी समय सीमा में परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेशित)


(डॉ. राजीव सक्सेना) 12.7.10

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्